न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला जोधपुर कम्प झाक

पीठासीन अधिकारी – भवानी सिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या– 71/2020

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
सोहनराम पुत्र लिखमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. श्रीमती मुथराई पत्नी लिखमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ग्राम झाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर 2. श्रीमती लीलादेवी पुत्री लिखमाराम पत्नी सायरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मालकोसनी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति – वादी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद चाहान अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :– 01.11.2021**

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भ्मि खसरा नम्बर 303 रकबा 1.6746 हैक्टेयर स्थित है। यह भूमि वादी के पिता लिखमाराम की सयुक्त खातेदारी की थी। लिखमाराम जी के एक पुत्र सोहनराम तथा पत्नी मुथराई व पुत्री लीलादेवी है। खातेदार लिखमाराम जी का देहान्त सन् 2005 में हो गया। इस कारण उपरोक्त खातेदारी भूमि [illegible] वादी के पिता लिखमाराम जी का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत किया [illegible]। उसमें वादी का लिपीकीय भूलव"ा या त्रुटीव"ा सोहनलाल नाम लिख दिया, जबकि वादी का वास्तविक नाम सोहनराम है। इसी प्रकार ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:00 IST
Reason: SelfAttested

की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 316 रकबा 1.7313 हैक्टेयर स्थित है। यह भूमि वादी के पिता लिखमाराम की सयुक्त खातेदारी की थी। लिखमाराम जी के एक पुत्र सोहनराम तथा पत्नी मुथराई व पुत्री लीलादेवी है। खातेदार लिखमाराम जी का देहान्त सन् 2005 में हो गया। इस कारण उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादी के पिता लिखमाराम जी का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उसमें वादी का लिपीकीय भूलव”ा या त्रुटीव”ा सोहनलाल नाम लिख दिया, जबकि वादी का वास्तविक नाम सोहनराम है। इसी प्रकार ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 712 रकबा 0.6229 हैक्टेयर स्थित है। यह भूमि वादी के पिता लिखमाराम की खातेदारी की थी। लिखमाराम जी के एक पुत्र सोहनराम तथा पत्नी मुथराई व पुत्री लीलादेवी है। खातेदार लिखमाराम जी का देहान्त सन 2005 में हो गया। इस कारण उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादी के पिता लिखमाराम जी का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उसमें वादी का लिपीकोय भूलव”ा या त्रुटीव”ा सोहनलाल नाम लिख दिया, जबकि वादी का वास्तविक नाम सोहनराम है। वादी को घर में लाड प्यार से साहनलाल पुकारते है और वादी का सरकारी दस्तावेज आदि में उसका नाम सोहनराम लिखा हुआ है। जब वादी के पिता लिखमाराम जी का देहान्त हुआ उस समय फातेदगी नामान्तरकरण में भूलव”ा या त्रुटीव”ा वादी का नाम सोहनलाल लिखवा दिया, जबकि वादी का सरकारी दस्तावेजो के अनुसार उसका वास्तविक नाम सोहनराम है। वादी अभी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु बैक के समक्ष गया और अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि पर ऋण देने हेतु का निवेदन किया और अपने सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैंक डायरी, पहचान पत्र आदि दस्तावेज बैंक मैनेजर साहब के समक्ष पे”ा किये, जिस पर बैंक मैनेजर साहब ने दस्तावेज देखकर बताया कि आपका सरकारी दस्तावेज में आपका नाम सोहनराम लिखा हुआ है और जमाबन्दी में सोहनलाल लिखा हुआ है, जिस पर बैक मैनेजर ने ऋण देने से मना कर दिया और वादी को कहा कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में शुद्धि आदि करवायी जावे। इस कारण वादी को राजस्व रेकर्ड मे अपने सोहनलाल के स्थान पर सोहनराम नाम की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने हेतु का यह दावा पे”ा करना पड़ रहा है। वादी सोहनराम एवं सोहनलाल एक ही व्यक्ति है तथा विवादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा का”त चला आ रहा है। वादी ने विवादग्रस्त भूमि दावे के पद संख्या 1 से 3 की खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:00 IST
Reason: SelfAttested

के विरूद्ध तहसीलदार या अन्य किसी के न्यायालय में कही कोइ आपति, एतराज या अपील, रिवीजन आदि पे"ा नही की है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में सोहनलाल नाम लिख देने से वादी न तो अपनी भूमि पर ऋण ले सकता है तथा न ही कोई सरकारी सहायता प्राप्त कर सकता है और न ही अपनी खातेदारी भूमि का बैचान कर सकता है। वादी को घर पर लाड़ प्यार से सोहनलाल पुकारते है, इस कारण वादी के पिता लिखमाराम जी का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय भूलव"ा या बीना जानकारी के वादी का नाम सोहनलाल दर्ज कर दिया, जबकि वादी के सरकारी दस्तावेज सोहनराम नाम से जारी किये हुए है, अतः राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी का नाम गलत अंकित करना एक मानवीय भूल रह गयी, जिसे घोषणा के जरिए दुरूस्त किया जाना आव"यक है। अन्त में निवेदन किया कि सोहनलाल पुत्र लिखमाराम के स्थान पर सोहनराम पुत्र लिखमाराम की खातेदारी घोषित की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही की गयो। प्रतिवादी संख्या–2 को तरफ से श्री राजेन्द्र प्रसाद चौहान अधिवक्ता उपस्थित हए एव जवाब पेश किया जो जवाब के तथ्य इस प्रकार ह कि ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 303, 316, 712 संयुक्त राजस्व रेकर्ड में सोहनलाल पुत्र लिखमाराम के स्थान पर सोहनराम पुत्र लिखमाराम की भूमि घोषित की जाती है जिसकी कोई आपति नहीं ह। अन्त म जवाब दावा पेश कर वादो का वाद स्वीकार कर डिक्री किय जाने का निवेदन किया प्रतिवादी संख्या–3 सरकारी पेरोकार ने जवाब पेश किया की दावे क पद संख्या 1 से 3 मं वर्णित भूमि में सोहनलाल पुत्र लिखमाराम के स्थान पर सोहनराम पुत्र लिखमाराम को राजस्व रेकर्ड म इन्द्राज किया जाता है तो कोइ आपति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2, 3 की ओर से दावा को स्वीकार करने क कारण तनकीयात की आवश्यकता नहीं रही। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली ध्यानपूवक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सख्या 2 व 3 की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आव"यकता नही रही। वादी ने दाव के साथ जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 खसरा नम्बर 303, जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 खसरा नम्बर 316, जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 खसरा नम्बर 712, राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान कार्ड, बैंक डायरी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:00 IST
Reason: SelfAttested

पेन कार्ड आदि को पे"। किया है। दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम सोहनराम दर्ज किया हुआ है। जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में वादी की खातेदारी सोहनलाल पुत्र लिखमाराम के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम सोहनराम पुत्र लिखमाराम की घोषणा कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 3 ने रेकर्ड में दुरूस्त करने की सहमती प्रदान की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 303 रकबा 1.6746 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 316 रकबा 1.7313 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 712 रकबा 0.6229 हैक्टैयर के राजस्व रेकर्ड में सोहनलाल पुत्र लिखमाराम के स्थान पर सोहनराम पुत्र लिखमाराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदे"। प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। डिक्री पचा जारी हो। पत्रावली फै"ाल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 01.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:00 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प झाक
व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादीगण — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

वादीगण:

सोहनराम पुत्र लिखमाराम
जाति कुम्हार (प्रजापति)
निवासी झाक तहसील
बिलाड़ा जिला जाधपुर

प्रतिवादीगण:

1. श्रीमती मुथराई पत्नी लिखमाराम
जाति कुम्हार (प्रजापति)
निवासी झाक तहसील
जिला जोधपुर
2. श्रीमती लोलादेवी पुत्री लिखमाराम पत्नी
सायरराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
निवासी मालकोसनी तहसील बिलाड़ा
3. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :— 71/2020

निर्णय **दिनांक** :— 01.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से राजेन्द्र प्रसाद चौहान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 3 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे”ा होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 303 रकबा 1.6746 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 316 रकबा 1.7313 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 712 रकबा 0.6229 हैक्टैयर के राजस्व रेकर्ड में सोहनलाल पुत्र लिखमाराम के स्थान पर सोहनराम पुत्र लिखमाराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदे”ा प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन कर।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज — **मुबलिग** — **बाबत्** —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि”नर			फीस कमि”नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बा[illegible] हुक्मनामा		
मुतफरिक			मु[illegible]रिक		
			[illegible]		
मीजान			मी[illegible]		

नाट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो [illegible]रीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:00 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:00 IST
Reason: SelfAttested